[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवम् सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसंबर, 2022

संख्या 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.... (अ).–वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 65ख के उपवाक्य (55), केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2017 का नियम 3, सेवा कर नियम, 1994 का नियम 3, और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उप-धारा (2) का उपवाक्य (च), के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के उपवाक्य (ख) के अनुसरण में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवम् सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारक्षेत्र के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके तहत बनाए गए नियमों और वित्त अधिनियम, 1994 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत ऐसे अधिकारियों को उक्त तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट करता है।

तालिका

क्रम संख्या	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी का रैंक और पदनाम	क्षेत्राधिकार	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (अपील) का ऐसा कोई भी आयुक्त, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवम् सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी प्रशासनिक आदेश द्वारा निम्नलिखित के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में तैनात किया गया हो- (क) प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सेवा कर; या (ख) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सेवा कर।	अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) दिनांक 9 जून, 2017 में यथा निर्दिष्ट ऐसे प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सेवा कर या मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सेवा कर के अधिकार क्षेत्र में।	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 35 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 85 के तहत 30 जून, 2017 के बाद ऐसे प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सेवा कर या मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सेवा कर आयुक्त (अपील) के पास दायर अपीलों, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया हो, के संबंध में अपीलीय आदेश पारित करने के लिए।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-240137/58/2021-सेवा कर अनुभाग-सीबीईसी]

(रूबल सरोहा)

अवर सचिव